उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश

रिट याचिका संख्या 3644/1997

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका

याचिकाकर्ता :

मुख्तार सिंह पिता उजागर सिंह, उम्र 52 वर्ष, वरिष्ठ तकनीशियन कोक ओवन जी.एम.जी. (जनरल मेंटेनेंस ग्राउंड) भिलाई स्टील प्लांट भिलाई नगर क्वार्टर नं.4 ए, गली नं.4 सेक्टर नं.4, भिलाई नगर, भिलाई जिला दुर्ग, म.प्र.

बनाम

उत्तरवादी :

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा प्रबंध निदेशक भिलाई स्टील प्लांट भिलाई जिला दुर्ग, म.प्र.
2. श्रम न्यायालय, द्वारा पीठासीन अधिकारी उतई रोड दुर्ग, जिला दुर्ग, म.प्र.
3. औद्योगिक न्यायालय म.प्र. (रायपुर पीठ) कृष्णा सदन, 16 एच.आई.जी. शंकर नगर रायपुर, जिला रायपुर, म.प्र.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता का विवरण

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 3644/1997

मुख्तार सिंह

विरुद्ध

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

आदेश

दिनांक : 08.08.2005 के लिए

सूचीबद्ध

सही/–

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 3644/1997

मुख्तार सिंह

विरुद्ध

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

उपस्थिति:

श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री पंकज अग्रवाल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

डॉ. एम.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री शैलेन्द्र शुक्ला, उत्तरवादी नंबर 1 के अधिवक्ता।

उत्तरवादी नंबर 2 और 3 के लिए कोई उपस्थित नहीं।

आदेश

(08.08.2005)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

1. इस रिट याचिका के माध्यम से, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई है, याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.06.1997 को पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जो कि औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश, रायपुर पीठ के न्यायिक सदस्य द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 247/एम.पी.आई.आर./96 में पारित किया गया था। औद्योगिक न्यायालय ने श्रम न्यायालय, दुर्ग द्वारा प्रकरण क्रमांक 115/एम.पी.आई.आर./92 दिनांक 15.04.1996 में पारित आदेश को पलटते हुए याचिकाकर्ता के सेवा अभिलेख में जन्म तिथि के संशोधन संबंधी दावे को खारिज कर दिया।
2. संक्षेप में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधीन कार्यरत था और उसने श्रम न्यायालय, दुर्ग के समक्ष धारा 31(3) तथा 61 एम.पी.आई.आर. अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर यह घोषणा करने की प्रार्थना की कि उसकी सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि को 20.07.1944 से बदलकर 01.07.1939 किया जाना अवैध एवं निष्क्रिय घोषित किया जाए और याचिकाकर्ता की वास्तविक जन्म तिथि 20.07.1944 मानी जाए जिससे वह 31.07.2002 तक सेवा में बना रह सके।
3. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने 20.07.1964 को उत्तरवादी क्रमांक 1 की सेवा में प्रवेश किया। उसने 20.07.1964 को अपनी आयु 20 वर्ष घोषित की। अतः उसकी जन्म तिथि 20.07.1944 मानी गई और यही तिथि उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज की गई। हालांकि, बाद में याचिकाकर्ता को पता चला कि उसकी जन्म तिथि को 20.07.1944 से बदलकर 01.07.1939 कर दिया गया है। जांच करने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि 01.07.1939 की यह जन्म तिथि रोजगार सूचकांक कार्ड में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी जन्म तिथि को सही कराने के लिए कंपनी से प्रयास किए, लेकिन जब कोई सुधार नहीं किया गया, तो उसने श्रम न्यायालय में उक्त प्रकरण दायर किया।
4. उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान में याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित तथ्यों का खंडन किया गया। उत्तरवादी पक्ष का यह कहना था कि कंपनी द्वारा याचिकाकर्ता की जन्म तिथि में कोई भी परिवर्तन या संशोधन नहीं किया गया है, और वास्तव में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि प्रारंभ से ही 01.07.1939 दर्ज है, जो कि रोजगार सूचकांक कार्ड में याचिकाकर्ता द्वारा की गई घोषणा के आधार पर दर्ज की गई

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

थी। उक्त कार्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपनी आयु 01.07.1959 को लगभग 20 वर्ष घोषित की थी। अतः याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई जन्म तिथि 20.07.1944 को सही नहीं माना जा सकता।

5. श्रम न्यायालय ने इस प्रकरण में विवाद्यकों की विरचना करने के पश्चात पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया और दोनों पक्षों के साक्ष्य ग्रहण करने के उपरांत यह निष्कर्ष अभिलेख किया कि याचिकाकर्ता की सही जन्म तिथि 20.07.1944 है। श्रम न्यायालय का यह निष्कर्ष याचिकाकर्ता की मौखिक साक्ष्य तथा उसके पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1990 में जारी किए गए प्रमाणपत्र (प्रदर्श–पा./1) पर आधारित था। श्रम न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रमाणित रोजगार सूचकांक कार्ड की प्रविष्टियां (प्रदर्श–प्र./1) सही थीं। इन प्रविष्टियों में दर्शाया गया था कि याचिकाकर्ता ने 01.07.1959 को अपनी आयु 20 वर्ष घोषित की थी। साक्ष्य के विवेचन के पश्चात श्रम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वास्तव में यह घोषणा 24.07.1964 की थी, न कि 01.07.1959 की। श्रम न्यायालय ने यह भी माना कि जब याचिकाकर्ता वर्ष 1964 में सेवा में प्रवेश कर रहा था और उस वर्ष ही सूचकांक कार्ड तैयार किया जा रहा था, इन आधारों पर श्रम न्यायलय ने सूचकांक बोर्ड (प्रदर्श–डी./1) के सामग्री पर विश्वास नहीं किया और याचिकाकर्ता के इस तर्क को बरकरार रखा कि उसने वास्तव में सूचकांक कार्ड तैयार होने की तिथि को अपनी आयु 20 वर्ष घोषित की थी, न कि 01.07.1959 को। साथ ही, प्रमाणपत्र (प्रदर्श–पी./1) की सामग्री को भी सही माना गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दिनांक 15.04.1996 को श्रम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के विरुद्ध नियोक्ता द्वारा औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। औद्योगिक न्यायालय ने श्रम न्यायालय के निष्कर्षों को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया कि श्रम न्यायालय द्वारा प्रमाणपत्र (प्रदर्श–पी./1) की प्रविष्टियों पर, उसे विधिसम्मत रूप से याचिकाकर्ता द्वारा सिद्ध कराए बिना, अभिनिर्धारित किया जाना विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण था। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि श्रम न्यायालय द्वारा रोजगार सूचकांक कार्ड (प्रदर्श–डी./1) की प्रविष्टियों को अविश्वसनीय मानना अनुचित था और उसका ऐसा निष्कर्ष विकृत (perverse) है। वास्तव में, याचिकाकर्ता यह सिद्ध नहीं कर सका कि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 20.07.1944 थी और उत्तरवादी द्वारा उसे बदलकर 01.07.1939 कर दिया गया। औद्योगिक न्यायालय के इस अपीलीय आदेश के विरुद्ध ही वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि औद्योगिक न्यायालय द्वारा श्रम न्यायालय के उस आदेश और निष्कर्ष को पलटना न्यायसंगत नहीं था, जो याचिकाकर्ता की मौखिक साक्ष्य और उसके द्वारा प्रस्तुत पंचायत के प्रमाणपत्र (संलग्नक–पी/1) के आधार पर अभिलेख किया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि औद्योगिक न्यायालय को प्रदर्श–डी./1 की प्रविष्टियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था और याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 20.07.1944 मानी जानी चाहिए थी। दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा के अंतिम चरण में जाकर जन्म तिथि से संबंधित विवाद उठाया, और औद्योगिक न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के दावों को अस्वीकार किया जाना पूरी तरह उचित है।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को दलीलों को विस्तारपूर्वक सुना है तथा रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एस्ट्राला रबर बनाम दास एस्टेट (प्राइवेट) लिमिटेड, 12 सितंबर, 2001 8 एससीसी 97** के मामले में यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के आदेशों में हस्तछेप केवल तभी किया जा सकता है जब कोई कर्तव्यपालन में गंभीर उपेक्षा या विधि अथवा न्याय के मूल सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हो, और जहाँ उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के अभाव में गंभीर अन्याय अनियंत्रित और असंशोधित रह जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि कोई तथ्यात्मक निष्कर्ष पूर्णतः बिना किसी साक्ष्य के आधारित हो अथवा इतने विकृत हों कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के अंतर्गत ऐसे निष्कर्षों को निरस्त कर सकता है। साथ ही, **सुगरबाई एम. सिद्दीक और अन्य बनाम रमेश एस. हंकारे (मृत) द्वारा– विधिक प्रतिनिधि प्रतिवेदित, (2001) 8 एस.सी.सी 477** के मामले में यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका में उच्च न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को उस विषय पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त है और यदि है, तो क्या विवादित आदेश किसी प्रक्रिया संबंधी अनियमितता से दूषित है; अन्य शब्दों में, उच्च न्यायालय निर्णय की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया की वैधता पर विचार करता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. यदि याचिकाकर्ता के मामले का परीक्षण किया जाए, तो प्रतीत होता है कि प्रारंभ में याचिकाकर्ता का यह दावा था कि उसकी सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि 20.07.1944 को गलत रूप से परिवर्तित कर 01.07.1939 कर दिया गया है। इस संबंध में यह प्रदर्शित करने के लिए कि वास्तव में कंपनी द्वारा ऐसा

कोई परिवर्तन किया गया था, कोई दस्तावेज़ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता की सेवा में प्रविष्टि का प्रथम दस्तावेज़ रोजगार सूचकांक कार्ड (Employment Index Card) है, जिसे संलग्नक–पी/6 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही दस्तावेज़ प्राधिकरण के समक्ष प्रतिमा–डी/1 के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। यदि इस दस्तावेज़ की विषयवस्तु पर दृष्टिपात किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि इस दस्तावेज़ के कॉलम क्रमांक 10 में दिनांक 01.07.1959 को आयु संबंधी प्रविष्टि की गई है। इस कॉलम में याचिकाकर्ता की आयु 01.07.1959 को 20 वर्ष अंकित की गई है। याचिकाकर्ता ने इस प्रविष्टि पर विवाद नहीं किया है, परन्तु उसने यह दावा किया है कि उसने यह घोषणा इस सोच के साथ की थी कि उसे अपनी आयु 20.07.1964 को घोषित करनी है, न कि 01.07.1959 को। याचिकाकर्ता की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रतिमा–डी/1 एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसमें कर्मचारी का पूरा विवरण दर्ज होता है। इस दस्तावेज़ में याचिकाकर्ता के अंगूठे और उंगलियों के निशान हैं। यह कंपनी के निर्धारित प्रारूप में है, जिसमें कॉलम क्रमांक 10 कर्मचारी की जन्मतिथि अथवा दिनांक 01.07.1959 को उसकी आयु के संबंध में घोषणा हेतु है। इसी कॉलम में याचिकाकर्ता की आयु 20 वर्ष अंकित की गई है। याचिकाकर्ता ने इस दस्तावेज़ की विषयवस्तु पर विवाद नहीं किया गया है, बल्कि उसने यह दावा किया है कि उसने यह 20 वर्ष की घोषणा यह सोचकर की थी कि उसे अपनी आयु 20.07.1964 को बतानी है। यदि याचिकाकर्ता के साक्ष्य का परीक्षण किया जाए, तो यह भी स्पष्ट होता है कि उसने इस तथ्य का समर्थन अपने मौखिक साक्ष्य से भी नहीं किया है। उसने केवल यह कहा है कि 20.07.1964 को उसने रोजगार सूचकांक कार्ड के कॉलम क्रमांक 10 में अपनी आयु 20 वर्ष अंकित करवाई थी। उसने यह नहीं कहा कि 20.07.1964 को उसकी वास्तविक आयु 20 वर्ष थी। केवल इसी साक्ष्य के आधार पर श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ता का दावा स्वीकार कर लिया और यह माना कि उसने 20 वर्ष की आयु 20.07.1964 को बताई थी, न कि 01.07.1959 को। प्रकरण की इन परिस्थितियों में यदि औद्योगिक न्यायालय ने श्रम न्यायालय के निष्कर्ष को पलटा है, तो इसे त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। बल्कि यह प्रतीत होता है कि श्रम न्यायालय का निष्कर्ष पूर्णतः विकृत था और औद्योगिक न्यायालय द्वारा उसे पलटना उचित और यथोचित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब यदि जन्म प्रमाण पत्र (संलग्नक–पी/2) की विषयवस्तु पर विचार किया जाए, तो यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रमाण पत्र वर्ष 1990 में जारी किया गया है। इस दस्तावेज़ को विधि के अनुरूप सिद्ध नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस दस्तावेज़ में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह प्रमाण पत्र किस प्रावधान के अंतर्गत जारी किया गया है, क्या यह प्रमाण पत्र किसी वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत जारी किया गया

है अथवा याचिकाकर्ता के आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। वस्तुतः क्या यह प्रश्न कि याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1990 में बाद में प्राप्त उक्त प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाए, तथा उसमें अंकित जन्मतिथि को निर्णायक माना जाए, मूलतः एक तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसके निर्धारण हेतु विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जीएम, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, पश्चिम ... बनाम शिब कुमार दुशाद एवं अन्य, 2001 एआईआर एससी 72, पैरा–16** में यह निर्णय दिया है कि ऐसे मामलों में जिन तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक है, वे यह हैं कि – क्या ऐसे प्रमाण पत्र किसी वैधानिक अधिनियम अथवा नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं; क्या प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी विधि या नियमों के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व जन्मतिथि के प्रश्न की जांच करना आवश्यक है; तथा क्या ऐसे जांच के पश्चात् उक्त प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि को स्वीकार किया गया है अथवा वह प्रविष्टि केवल प्रमाण पत्र धारक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई है। वर्तमान प्रकरण में भी श्रम न्यायालय द्वारा इन तथ्यों का स्पष्ट नहीं किया गया है और केवल याचिकाकर्ता के साक्ष्य के आधार पर उक्त प्रमाण पत्र को प्रमाणित मान लिया गया है। औद्योगिक न्यायालय द्वारा इस दस्तावेज़ (प्रदर्श–पी/1) की विषयवस्तु को याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 20.07.1944 निर्धारित करने हेतु निर्णायक न मानना पूर्णतः उचित है और इन आधारों पर भी, श्रम न्यायालय के निष्कर्ष को सही रुप से पलट दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपरोक्त विचार–विमर्श तथा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, मैं यह नहीं मानता कि औद्योगिक न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष या तो विकृत है अथवा फिर संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत इस न्ययालय द्वारा हस्तछेप किए जाने के लिए अभिलेख पर मौजुद किसी सामग्री पर आधारित नहीं है। याचिका में कोई सार नहीं है, और इसे खारिज किया किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सही/–

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश
08.08.2005

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Bhumesh Bharti